न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी

दांडिक विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 684/2026

जगमोहन पुत्र श्री भीमाराम, उम्र करीबन 51 साल, निवासी किलाली का कुंआ, दिल्ली दरवाजा बाहर दीवान जी का बाग, पुलिस थाना अखैपुरा, जिला अलवर (राज.)

---प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर

--विपक्षी

द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2026, पुलिस थाना अखैपुरा, अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 112(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 13 आर.पी.जी.ओ.

उपस्थितः-

1- श्री वी.डी. आर्य, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 08.06.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त जगमोहन की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का यह द्वितीय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2026, पुलिस थाना अखैपुरा, जिला अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि फरियादी पदमचंद ए.एस.आई. ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना अखैपुरा, जिला अलवर पर इस आशय की दर्ज करवाई कि दिनांक 25.03.2026 को वह मय जाब्ता के थाने से रवाना होकर मुखबिर से मिली सूचना पर अशोका टॉकिज, अलवर पहुंचे, जहां पर तीन शख्स उन्हें देखकर भागने लगे। एक शख्स को बैठे रहने की हिदायत दी गई। उस शख्स के पास एक रजिस्टर हाथ में था। रजिस्टर के उपर दो पर्चियां थी, जिन पर दिल्ली के नंबरों की सट्टा की खाईवाली करने के अंक लिखे हुए थे तथा रजिस्टर के नीचे एक थैली में सट्टा से अर्जित राशि थी। शख्स जो सट्टा लगा रहा था, उससे सट्टा लगाने बाबत कोई वैध लाईसेंस व परमिट पूछने पर उसने नहीं होना बताया। शख्स ने बताया कि वे तीनों एक साथ ही काम करते है। उसके साथी जगमोहन, विष्णु, जो थोडी देर पहले ही पुलिस को देखकर भाग गये है। जगमोहन व उसके साथी उससे यह काम करवाते है। शख्स से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जसवंत होना बताया। उसने बताया कि सट्टा लगाने वाले को एक रूपये पर 90 रूपये देने का प्रलोभन देते है। शख्स के पास मिले सट्टा पर्चियां, बॉल पेन व सट्टा से

अर्जित राशि को नियमानुसार जब्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया .....इत्यादि।

3- उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2026, पुलिस थाना अखैपुरा, अलवर पर अंतर्गत धारा 112(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 05.05.2026 को गिरफ्तार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2026 को खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2026 को खारिज किया गया। बाद अनुसंधान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। तत्पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2026 को खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मुख्य रूप से प्रार्थी/अभियुकत के विरूद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. के उल्लंघन का आरोप है, जो जमानतीय अपराध है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 112(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप गलत रूप से बनाया गया है। प्रकरण के सह-अभियुक्तगण विष्णु व जसवंत को पूर्व में जमानत का लाभ प्रदान किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त सह-अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

5- विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का सख्त विरोध करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त काफी लंबे समय से लोगों को सट्टा खिलाने का काम करता है, जिससे समाज में बुरा असर पड रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध पूर्व में भी अन्य 25 आपराधिक प्रकरण 13 आर.पी.जी.ओ. के अपराध के संबंध में दर्ज हुए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त अन्य लोगों के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर, लोगों को सट्टा खिलाने का कार्य कर रहा है, जिसके विरूद्ध धारा 112(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध भी है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7- पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 25 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट होता है, जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः-

क्र.सं.	एफ.आई.आर. नं./ पुलिस थाना	केस नं.	न्यायालय का नाम	धाराऐं	स्टेटस	जमानत की दिनांक	आगामी पेशी
1.	**303/2023 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
2.	**1065/2023 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
3.	**94/2022 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
4.	**557/2021 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
5.	**645/2018 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
6.	**891/2017 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
7.	**360/2017 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
8.	**08/2017 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
9.	**271/2016 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
10.	**953/2016 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
11.	**265/2016 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
12.	**1228/2015 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
13.	**265/2015 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
14.	**1002/2014 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
15.	**457/2014 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-

16.	**380/2014 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
17.	**231/2014 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
18.	**1201/2012 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
19.	**272/2012 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
20.	**153/2013 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
21.	**618/2011 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
22.	**825/2010 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
23.	**379/2010 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
24.	**915/2009 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-
25.	**450/2009 कोतवाली, अलवर**	-	-	**13 R.P.G.O.**	-	-	-

8- मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर, छोटे संगठित अपराध में लिप्त रहकर, लोगों को प्रलोभन देकर सट्टा खिलाने संबंधी धारा 112(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के आरोप है। पत्रावली के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में जो आपराधिक प्रकरण दर्ज है, वे समस्त आपराधिक प्रकरण वर्ष 2023 से पूर्व के हैं। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 05.05.2026 को गिरफतार किया जाकर, वह विगत करीबन एक माह के अधिक समय से निरंतर पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के सह–अभियुक्तगण विष्णु व जसवंत को पूर्व में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त सह–अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना हितकर नहीं है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए, प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

9– लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त जगमोहन पुत्र श्री भीमाराम की ओर से प्रस्तुत जमानत का द्वितीय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त,न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपए का मुचलका एवं एक लाख रूपये की राशि की जमानत पेश कर तस्दीक करवा लेवे, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

10- आदेश आज दिनांक 08.06.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर